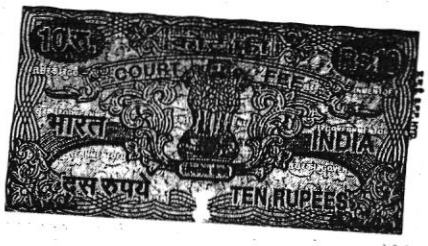

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर ।

प्रकरण क्रमांक III/पुनर्विलोकन/मुरैना/भू.रा./2017/6214

श्री राम सेवक शर्मा
द्वारा आज दि० 20-12-17
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 3-1-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 20-12-17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
20-12-17

20-12-17

किशनलाल पुत्र छोटेलाल, जाति कोरी,

निवासी ग्राम बुदेरा, तह0 जौरा,

जिला मुरैना (म0प्र0)

------आवेदक

बनाम

भोगीराम पुत्र छोटेलाल, जाति कोरी

निवासी ग्राम बुदेरा, तह0 जौरा,

जिला मुरैना (म0प्र0)

----- अनावेदक

पुर्नराविलोकन आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0भू0रा0संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 5-12-2017 द्वारा पारित न्याया0 राजस्व मण्डल म0प्र0 सम्माननीय सदस्य (रेडी साहब) प्रकरण क्रमांक सेकेण्ड निगरानी /मुरैना /भू0रा0/17 /4686 के निर्णय से दुखित होकर।

-------0-------

श्रीमान् जी,

पुर्नराविलोकन आवेदनपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि, प्रकरण में वर्णित सर्वे नम्बर कुल किता 4 कुल रकबा 0.94 के सम्बन्ध में आवेदक एवं अनावेदक के मध्य उभयपक्षों के सहमति से, दिनांक 7-10-16 को न्यायालय नायब तहसीलदार

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – मुरैना

प्रकरण कमांक – दो/पुनरावलोकन/मुरैना/भू.रा./2017/6214

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18/1/18	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक दो/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/4686 में पारित आदेश दिनांक 5–12–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के प्रस्तुत किया गया है । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । संहिता की धारा 51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में उपरोक्त आधारों में से कोई आधार नहीं बतलाया जा सका है । पुनरावलोकन आवेदन में एक मात्र आधार यह दिया गया है कि उन्हें बिना सुने गोपनीय रूप से दिनांक 9–11–17 को अनुविभागीय अधिकारी ने पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान करदी है और इस न्यायालय नें उक्त कानूनी बिंदु को अनदेखा किया है । आवेदक अधिवक्ता का उक्त तर्क अभिलेख पर आधारित नहीं है क्योंकि आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में निगरानी 9–11–17 के विरूद्ध प्रस्तुत न करते हुए नायब तहसीलदार, मुरैना के आदेश दिनांक 2–11–17 के विरूद्ध पेश की गई थी, जिसके द्वारा नायब तहसीलदार ने अपने पूर्व के आदेश दिनांक 7–10–16 के पुनरावलोकन की अनुमति चाही है । इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा यह पुनरावलोकन गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनरावलोकन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो। प्रशा0 सदस्य	